पत्रांक ... /2006 ...

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली--110092

पटना, दिनांक

विषय:-- केशव सरस्वती विद्या मंदिर, रानीपुर, पटना साहेब को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "केशव प्रबोधिनी" द्वारा किया जाता है । न्यास के शासी निकाय के सदस्यो की सूची दी गयी है और यह सूचना भी दी गयी है कि न्यास में किसी एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है। शासी निकायके सदस्यों के बीच आपसी सम्बन्द उनके व्यवसाय आदि के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार सदस्यों के व्यवसाय एवं आपसी संबंध के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालय को सम्बन्धता देने के पूर्व इस बिन्दु पर पूर्ण सूचना प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई करे।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रैन्चाईजी के रूप में अथवा किसी विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है ।
3. विद्यालय को 6 एकड़ 20 डिसमिल भूमि उपलब्ध है। जिसपर विद्यालय के द्वारा भवन निर्मित करा लिया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधा की जाँच बोर्ड को अपने निरीक्षण दल से करा लेनी होगी ।
4. विद्यालय में 24 शिक्षक है, जिनमें 20 प्रशिक्षित है । हालांकि आवेदन में शिक्षको की योग्यता एन०सी०टी०ई० के मापदण्डो के अनुरूप बतायी गयी है, जबकि 9 शिक्षकों के अप्रशिक्षित होने से सूचना संदिग्ध हो जाती है । नियुक्ति के सम्बंध में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न की गयी है । लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नही दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन किया गया हो । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि नियुक्ति विहित प्रकिया के अन्तर्गत वस्तुनिष्ठ तरीके से एन०सी०टी०ई० के मापदण्डों के अनुरूप की गयी है ।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक किये जाने का दावा किया गया है । दावे की पुष्टि हेतु विद्यालय के द्वारा कोई साक्ष्य अथवा अभिलेख उपस्थापित नही किया गया है। विद्यालय को लेखा से संबंधित प्रतिवेदन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ राज्य सरकार को भी भेजनी चाहिए । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे सुनिश्चित करा सकेगी ।

Principal

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 235 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार –

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है, उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर अंकित शर्त्तों के आधार पर केशव सरस्वती विद्या मंदिर, रानीपुर, पटना साहिब को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त आवदेन पत्र दिनांक 12.06.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 613 पटना, दिनांक– 25-9-06

प्रतिलिपि – . केशव सरस्वती विद्या मंदिर, रानीपुर, पटना साहिब को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/9/06

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Principal
KESHAV SARASWATI VIDYA MANDIR
Keshavpuram, Ranipurchak, Po-Begampur, Patna-9